उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2

संख्या-56/2016/वे0आ0-2-1152/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2016

<u>कार्यालय आदेश</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ में विशेष कार्याधिकारी (नियमावली) वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- के पद पर श्री शिव शंकर सिंह को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिये निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

(1) श्री शिव शंकर सिंह को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2)पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अन्तिम आहरित मूल्य वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आंकलित हो तथा श्री शिव शंकर सिंह को देय मंहगाई भत्ता अन्तिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3)श्री शिव शंकर सिंह को पुनर्नियुक्ति की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम 197ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4)पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5)पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके अन्तिम आहरित वेतन के ग्रेड वेतन के अन्तर्गत अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6)पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को पेंशन पर मंहगाई भत्ता राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) श्री शिव शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी (नियमावली) को वही सुविधायें अनुमन्य होगी जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थीं।

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या-56/2016/वे0आ0-2-1152(1)/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कार्मिक अनुभाग-1
4. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 1/2
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।